न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार बलाई **(R.A.S)**

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
90 / 25	20 / 06 / 25	20 / 06 / 25

/ / उनवान / /

1 रतनलाल पुत्र चन्दर जाति अहीर, निवासी चांदपुर तहसील मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– **प्रार्थी**

बनाम

2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 20 / 06 / 2025

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी खाता संख्या 797 मे वर्णित खसरा न0 1530 रकबा 0.27है0, 1735 रकबा 0.54है0, खाता संख्या 723 मे वर्णित खसरा न0 29 रकबा 0.21 है0, 30 रकबा 0.23है0, एवं खाता संख्या 45 मे वर्णित खसरा न0 2136 रकबा 0.14है0, 2137 रकबा 0.14है0, 65 रकबा 0.22है0, एवं खाता संख्या 724 मे वर्णित खसरा न0 2130 रकबा 0.25है0, 2131 रकबा 0.09है0, 2227 रकबा 0.25है0 2228 रकबा 0.06है0, 2229 रकबा 0.01है0 2230 रकबा 0.94है0, 2231 रकबा 0. 22है0, 2232 रकबा 0.25है0, 224 रकबा 0.84है0, 259 रकबा 0.46है0, जिसके साबिक खसरा नम्बर क्रमशः निम्न प्रकार है 1350, 1528, 29, 30, 1898, 1899, 57, 1892, 1893, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 190, 212, वाके ग्राम **चांदपुर** एवं खाता संख्या 202 में वर्णित खसरा नम्बर 199 रकबा 0.77है0 एवं खाता संख्या 205 में वर्णित खसरा नम्बर 148 रकबा 0. 85 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर क्रमशः 165, 123 वाके ग्राम **सूरजपुरा** तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस प्रार्थना–पत्र में में विवादित आराजी कहलाएगी। यह है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक विनियम एवं खरीदसुदा आराजी रही है, यह है कि मिन प्रार्थी का नाम प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में रतनलाल पुत्र चन्दर दर्ज रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रार्थी का नाम बोदन पुत्र चन्दर का गलत अंकन दर्ज कर दिया गया जो काबिल दुरूस्त है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1530, 1735, 29, 30, 2136, 2137, 65, 2130, 2131, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 224, 259 वाके ग्राम **चांदपुर** एवं खसरा नम्बर 199, 148 वाके ग्राम **सूरजपुरा** में मिन प्रार्थी का नाम बोदन पुत्र चन्दर को हजफ कर उसके स्थान पर रतनलाल पुत्र चन्दर दर्ज करने के आदेश पारित करने बाबत निवेदन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं मय अभिषशा संलग्न पत्रावली है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/3394 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा प्रकरण मे हाल खसरा नम्बर 29, 30, 2130, 2131, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 224, 259, 1530, 1735, जिसके साबिक खसरा नम्बर क्रमश 29, 30, 1892, 1893, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 190, 212, 1350, 1528 वाके ग्राम चांदपुर उक्त आराजी प्रार्थीगण को जरिये विरासत नामा0 संख्या 49 वर्ष 1975 से प्राप्त हुई जिसमे प्रार्थी का नाम बोदन पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी चान्दपुर दर्ज रिकॉर्ड है। एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 2136, 2137, जिसके साबिक खसरा नम्बर 1898, 1899 वाके ग्राम चांदपुर जरिये विनियम नामा0 संख्या 764 दिनांक 23.07.1998 से प्राप्त हुई है एवं खसरा नम्बर 65 जिसके साबिक खसरा नम्बर 57 वाके ग्राम चांदपुर जरिये बैयनामा नामा0 संख्या 420 दिनांक 02.09.1987 से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम बोदनराम पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी चान्दपुर दर्ज रिकॉर्ड है। एव राजस्व ग्राम सूरजपुरा के हाल खसरा नम्बर 199, 148, जिसके साबिक खसरा नम्बर 165, 123 नामान्तरण संख्या 08 से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम बोदन पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी चान्दपुर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी रतनलाल पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी चान्दपुर के नाम के संबंध में दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड वोटर आई.डी. कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र चन्दर दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में बोदन/बोदनराम पुत्र चन्दर दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थी के नाम के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ में रतनलाल पुत्र चन्दर व बोदन उर्फ बोदनराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है तथा इस नाम से गांव में और कोई व्यक्ति नहीं होना बताया गया है। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट प्रार्थी का नाम बोदन/बोदनराम पुत्र चन्दर एवं रतनलाल पुत्र चन्दर एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र चन्दर दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा 1530, 1735, 29, 30, 2136, 2137, 65, 2130, 2131, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 224, 259 वाके ग्राम **चांदपुर** एवं खसरा नम्बर 199, 148 वाके ग्राम **सूरजपुरा** में दर्ज प्रार्थी का नाम **"बोदन/बोदनराम पुत्र चन्दर के स्थान पर रतनलाल पुत्र चन्दर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **20.06.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरे

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)